ग्राम पंचायत, बोहल टालिया, विकास खण्ड राजगढ़ ज़िला सिरमौर के तक के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014से 31.03.2017

भाग-I

1. (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत, बोहल टालिया, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री नन्द राम	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्रीमती बेला देवी	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री जोगिन्दर अत्री	01.04.2014 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, बोहल टालिया के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.17
2	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.18
3	7	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	9.70

4	8	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय	10.02
5	10	जे.सी.बी चार्जिस का अनियमित भुगतान	0.65

भाग –दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बोहल टालिया, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 06.03.18, 07.03.18 तथा 12.03.18 से 15.03.2018 को ग्राम पंचायत बोहल टालिया के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है|

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2014-15	07/2014	03/2015
2015-16	09/2015	08/2015
2016-17	06/2016	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बोहल टालिया, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/राजगढ़/2017-18-23 दिनांक **15.03.2018** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बोहल टालिया से अनुरोध किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति:- ग्राम पंचायत बोहल टालिया द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत बोहल टालिया के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:- **परिशिष्ट-1**

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	------	29137.00	29137.00	4817.00	24320.00
2015-16	24320.00	15916.00	40236.00	4476.18	35759.82
2016-17	35759.82	38139.80	73899.62	16272.00	57627.62

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि के बैंक खाते में ही जमा करवाया गया था तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए | जबकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर रखे जाने का प्रावधान है | अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत बोहल टालिया के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2A}** मे भी दिया गया है ।

परिशिष्ट-2

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	738982.84	2936787.00	3675769.84	3025381.00	650388.84
2015-16	650388.84	2119771.00	2770159.84	1974257.00	795902.84
2016-17	795902.84	2393841.00	3189743.84	2219262.50	970481.34

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5. रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

(i) रोकड़ बही और बैंक खातों के अंतशेष में ₹0.17 लाख का अन्तर:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3)

व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार ₹**17,388.24** का अन्तर पाया गया, जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	57627.62	1
2.	अनुदान	970481.34	2
3.	कुल शेष राशि	1028108.96	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	1045497.20	4
5.	अन्तर	17388.24	

(ii). रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई रोकड़ बहियां तथा खाता बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती | ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें भी विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ वही एवं खाता वहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए |

6 पंचायत राजस्व ₹1.18 लाख वसूली हेतु शेष:-

(i). गृहकर की ₹0.65 लाख की शेष वसूली:-

सचिव ग्राम पंचायत बोहल टालिया द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/राजगढ़/बोहल टालिया/2017-18-3 दिनांक 06/03/2018 के सन्दर्भ में उनके पत्र **क्रमांक:GP.BohalTaliya/03/2017-18** दिनांक **15/03/2018** द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/201 7 को

निम्नतालिकानुसार गृहकर की ₹**65,450** वसूली योग्य शेष थी, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

परिशिष्ट-5 क्रमांक-2

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2013-14	**320**	**50/-**	**16000/-**	**------**	**16000/-**
2014-15	320	50/-	16000/-	------	32000/-
2015-16	329	50/-	16450/-	------	48450/-
2016-17	340	50/-	17000/-	------	65450/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**65450/-**	**------**	**65450/-**

(ii). मोबाइल टावर शुल्क की ₹0.53 लाख की शेष वसूली:-

परिशिष्ट-5 के **क्रमांक: 3** पर दर्शायी गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को निम्नतालिकानुसार पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित **Reliance** तथा **Airtel** कम्पनी से मोबाइल टावरों की स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क की **₹53,000 (₹26500 + ₹26500)** वसूली योग्य शेष थी | अतः उक्त राशि को सम्बन्धित कम्पनियों से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दौरान अवगत करवाया जाए|

परिशिष्ट-5 क्रमांक-3

Year/period	BSNL	Reliance	Remarks
2007	4000/-	4000/-	Installation Fees @ 4000/-
2008 to 2012	10000/-	10000/-	Renewal Fees @ 2000/-p.a.
2013 to 2017	12500/-	12500/-	Renewal Fees @ 2500/-p.a.
Total	**26500/-**	**26500/-**	

इसके अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **“मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इसके अतिरिक्त भविष्य में “**मांग एंवम वसूली पंजी”** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो |

7 अनुदान राशि ₹9.70 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹9,70,481** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये|

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹10.02 लाख सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹**1000** से अधिक तथा ₹**50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा ₹**50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित (Tenders)** किए जाने का प्रावधान है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके | जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा **निविदा/कोटेशन्स** आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है | परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही **परिशिष्ट-6** के अनुसार ₹1001755 की सामग्री का क्रय किया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाई जाए । भविष्य में प्रत्येक क्रय नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में

दर्ज करना अपेक्षित है| परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-6** के अनुसार ₹1001755 की पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है। अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

10 जे.सी.बी चार्जिज ₹0.65 लाख का अनियमित भुगतान:-

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर निम्न विवरणानुसार **₹65,000** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) में वर्णित नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः उक्त अनियमित भुगतान को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

जे.सी.बी चार्जिज के अनियमित भुगतान का विवरण

नं	फर्म का नाम	बिल व् दिनांक	घन्टे	दर	कुल भुगतान
		BRGF			
1	जितेन्दर चौहान कुलथ	207/ 11.08.15	81.25	800/-	**65,000/-**

(ii) इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(iii). उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिज का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां जैसे **आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि** की कटौती नहीं की गई थी, जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी | अतः उक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i). निर्माण कार्यो पर खर्च ₹36.75 लाख के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान संलग्न **{परिशिष्ट- 7}** पर दर्शाए गए ₹36.75 लाख के निर्माण कार्यों के तकनीकी मुल्यांकन से सम्बन्धित प्राक्कलन माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही की वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी | यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/राशि का आहरण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि किये गए भुगतान को नियमित ठहराया जा सके।

अनुदान	भुगतान	विवरण
GENERAL HEAD	1290940/-	**परिशिष्ट-7 पृष्ठ-31**
BRGF	773340/-	**परिशिष्ट-7 पृष्ठ-33**
PMAGY	385586/-	**परिशिष्ट-7 पृष्ठ-35**
MGNREGA	1225535/-	**परिशिष्ट-7 पृष्ठ-40**
Total:-	**3675401/-**	

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय/उपयोग कर ₹0.65 लाख का अनियमित भुगतान:-

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया कि MLA तथा SDP अनुदान से निम्नतालिका में दर्शाए गए निर्माण कार्य पर तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की खरीद कर **₹65080** का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

कार्य का नामः- निर्माण पुल, दून

स्वीकृत राशि:-₹200000/- अनुदान {100000/-(MLA) 100000/-(SDP)}

माप पुस्तिका संख्या:- 325 के पृष्ठ 61 से 64 पर

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा/राशि	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
सीमेंट	45 बैग्स	30 बैग्स	15 बैग	350/-	5250/-
रेत	8.50 Cum	3.87 Cum	4.63	1470/-	6806/-
बजरी	8.50 Cum	5.01 Cum	3.49	1470/-	5130/-
टाइल्स	600 टाइल्स	196 टायल	404	25/-	10100/-
पत्थर	6.5 चट्ठे	------	6.5 चट्ठे	2000/-	13000/-
रेत/बजरी	**रु.20000/-**	**------**	**20000/-**	**-------**	**20000/-**
सरिया	402 किलो	300 किलो	102 kg.	47/-kg.	4794/-
				कुल अधिक भुगतान	**65080/-**

(iii). IWMP योजना में क्रैट वायर चेक डैम के निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितताएं:-

(क). प्राक्कलन में निर्दिष्ट की गई निर्माण सामग्री से अधिक मात्रा की खरीद कर किया गया ₹0.43 लाख का अधिक भुगतान:-

IWMP योजना के अन्तर्गत निम्न तालिका में दर्शाये गए **क्रैट वायर चेक डैम** के निर्माण कार्य में प्राक्कलन में निर्दिष्ट निर्माण सामग्री की मात्रा से अधिक मात्रा की खरीद करके **₹43015** का अधिक भुगतान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (₹)
1	निर्माण क्रैट वायर चेक डैम, फगु	107000/-
2	निर्माण क्रैट वायर चेक डैम, धार पजेरा	107000/-
3	निर्माण क्रैट वायर चेक डैम, जोला	107000/-
4	निर्माण क्रैट वायर चेक डैम, कुलथ	107000/-
5	निर्माण क्रैट वायर चेक डैम, टालीया	107000/-

निर्माण सामग्री का नाम	**प्राक्कलन में दी गई मात्रा**	**सामग्री की क्रय की गई मात्रा**	**अधिक क्रय की गई मात्रा**	**क्रय दर**	**राशि का अधिक आहरण/व्यय**
पत्थर	50.75 m3	58.50 m3	7.75	1110/-	8603/-
उपरोक्त पांच क्रैट वायर चैक डैम के निर्माण में पत्थर की अधिक मात्र की खरीद दर्शाकर राशि का किया गया अधिक आहरण/भुगतान {8003x5}					**43015/-**

(ख). प्राक्कलन में दिए गए बाज़ार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद करके ₹1.49 लाख का अधिक व्यय:-

उपरोक्त पैरा 12 (iii) (क) के कार्य में प्राक्कलन के अनुसार पत्थर का प्रचलित बाज़ार मूल्य ₹600 प्रति Cum लगाया गया था, जबकि उपरोक्त पाँचों चेक डैम के लिए पत्थर की खरीद ₹1110 प्रति Cum की दर से करके प्रत्येक चेक डैम में ₹**29835 {1110-600=510x58.50Cum}** तथा पांच चेक डैम के निर्माण में कुल ₹**1,49,175** का अधिक भुगतान हुआ जिस बारे जाँच करके स्थिति स्पष्ट की जाए, व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य के प्राक्कलन अनुसार क्रैट वायर की मात्रा Sqm में दी गई थी, जबकि प्रत्येक चेक डैम के लिए क्रैट वायर की खरीद Sqm में न करके प्रति चेक डैम 12 क्रैट वायर की खरीद दर्शायी गई है, एक क्रैट वायर में कितनी Sqm मात्रा थी यह नहीं दर्शाया गया था | अतः खरीदी गई मात्रा प्राक्कलन अनुसार सही थी अथवा नहीं इस बारे जाँच नहीं की जा सकी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए | उक्त कार्यों से सम्बधित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशि से ₹1.61 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 में मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशि से ₹**1,61,356** अधिक था | उक्त **Online** भुगतान

तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये, यदि अन्तर की राशि अधिक भुगतान है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये | उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	**रोकड़ बही में दर्ज कुल online व्यय**	**फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान**	**अन्तर अधिक भुगतान (₹)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [3-2]**
2014-15	744909/-	906265/-	**161356/-**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 व् 2016-17 में किये गए ₹25.68 लाख के ऑनलाइन भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई Online Financial Statements के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार ₹25,68,294 का Online भुगतान किया गया है | उक्त प्राप्ति व् भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो इन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ इसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी | अतः उपरोक्त आय/व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

वितीय वर्ष	**मजदूरी का भुगतान**	**सामग्री पर व्यय**	**कुल भुगतान**
2015-16	471906/-	191922/-	663828/-
2016-17	1695070/-	394780/-	2089850/-
कुल योग	**2166976/-**	**586702/-**	**2753678/-**
	(-) 2015-16 में रोकड़ बही में दर्ज ऑनलाइन भुगतान		185384/-
	ऑनलाइन व्यय भुगतान जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया		**2568294/-**

13 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

15 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारेः-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए था सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए|

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया गया था । अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए व सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त त्रुटियों के दृष्टिगत पंचायत को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है।

15 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

(i). अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त राशि {अनुदान/आय} से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि में पंचायत को प्राप्त हुई आय/अनुदान से सम्बन्धित पंचायत द्वारा जारी रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शायी गई प्राप्ति सही थी अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी | इसके अतिरिक्त नकद में प्राप्त राशि को भी पुर्णतः रोकड़ दर्ज किया गया था अथवा नहीं इस बारे भी जाँच नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही उक्त

अभिलेख की पूर्णतः जाँच कर उसका सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(ii) विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है| अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर|
12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

16 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये |

17 **लघु आपत्ति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई थी । लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर दिया गया था।

18 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)29/2018 खण्ड–1–52.09–5212 दिनांक 03.08.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बोहल टालिया, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881